Speech by Hon'ble Mr. Mulayam Singh Yadav
Chief Minister, U.P.

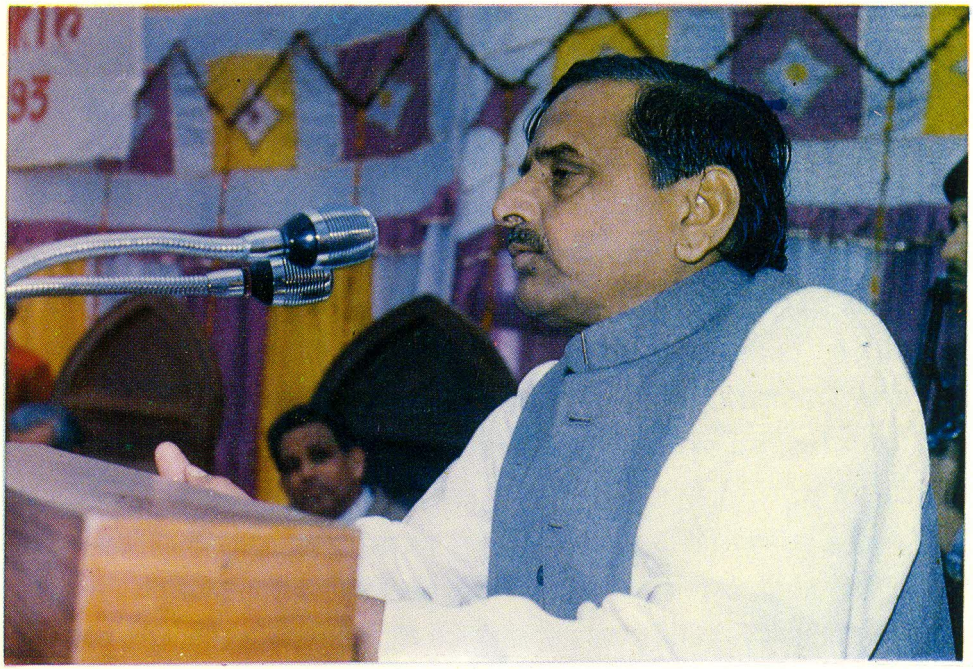

उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव
Hon'ble Mr. Mulayam Singh Yadav, Chief Minister of Uttar Pradesh

भारत के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी, भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जी, संस्थान के निदेशक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय सचिव जी, सभी उपस्थित माननीय न्यायाधीशगण, बहनों, प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और पत्रकार बन्धु,

आज मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भारत के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी की उपस्थिति में हम सब एकत्र हैं ही, लेकिन साथ में ही यहाँ इस संस्थान का शिलान्यास भी हुआ। उनके द्वारा यह शिलान्यास हमारे देश की आम जनता के लिए , इस लोकतन्त्र में, प्रेरणा का स्रोत बनेगा इसकी मुझे पूरी आशा है। जहाँ तक इस संस्थान के विकास के लिए सहाय जी ने हमसे उम्मीद की है, इस अवसर पर

तो इस संस्थान के निर्माण के लिए , विकास के लिए, शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तीन करोड़ रुपये स्वीकृत करता हूं और मुख्य न्यायाधीश जी, सुप्रीम कोर्ट, को हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके हाथों द्वारा यह शिलान्यास हुआ है, इसलिए तीन करोड़ के अतिरिक्त जितनी भी मदद की और भी जरूरत पड़ेगी, हम उसकी, जरूरत से पहले ही, स्वीकार करने के प्रयास करेंगे ।

शिलान्यास हुआ है, लेकिन जो हमारे साथ काम करने वाले साथी हैं, वे जानते हैं कि शिलान्यास में हम कम विश्वास करते हैं; हम उद्घाटन में विश्वास ज्यादा करते हैं । निर्माण निगम के जो प्रबन्ध निदेशक हैं, मैं जल्दी में नही सुन पाया था, समय जाने कितना लिया है उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए। डेढ़ साल ? (प्रबन्ध निदेशक के डेढ़ साल बताने पर) डेढ़ साल आपने दिन जोड़े होंगे, दिन और रात दोनों जोड़ लीजिए। यह काम हो सकता है समय से पहले और होगा। क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कहीं कोई शिकायत न हो निर्माण निगम की तरफ से। अगर डेढ़ साल का आधा नहीं कर सकते, तो एक साल के अन्दर पूरा करना मत भूलना, मजदूरों की कमी नहीं है और जब पैसे की कमी होती है, तब सब असुविधाएं होती हैं और इस संस्थान के लिए कोई पैसे की कमी है नहीं। अब एक साल के अन्दर इसके उद्घाटन की तारीख भी आज तय कर लें, तो बहुत अच्छा होगा। यह काम कोई नया मेरे लिये नहीं है; हम ऐसे काम करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रबन्ध निदेशक अपनी सुविधा से इस संस्थान के उद्घाटन की तारीख भी निश्चित कर दें। कर दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं। (प्रबन्ध निदेशक के पहली जनवरी, 1995 कहने पर) पहली जनवरी, 1995 । मुझे खुशी है कि प्रबन्ध निदेशक जी ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया है और मुझे खुशी होगी कि आज और कल में बैठ करके इसकी पूरी योजना बना करके 01 जनवरी उद्घाटन की तारीख बनाये रखखें। कोशिश करेंगे कि 01 जनवरी से पहले भी हो जाये एक दिन, तो और अच्छा होगा।

आप जानते हैं कि मैंने सरकार में शपथ लेने के समय कुछ जनता के बीच वायदे किये थे। अगर हमने वायदा किया था, तो उसे समय से पहले ही उस वायदा को पूरा हमने किया है। हम चाहते हैं कि यह प्रवृत्ति पूरे देश में पहुंचे। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए और जिसकी कथनी और करनी में भेद होता है, वह देश और समाज की सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर हमारा देश जा रहा है, उस रास्ते को मोड़ करके हमारी जो सभ्यता और संस्कृति रही है, उसमें शैतान और पापी को कभी स्थान नहीं मिला है। लोकतन्त्र की व्यवस्था हमारे देश की, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतान्त्रिक व्यवस्था है, इसको मजबूत करने की अहम भूमिका हमारी न्यायपालिका पर है। इसलिए हमारी भी कोशिश है कि न्यायपालिका को सरकार की तरफ से पूरी मदद मिले, पूरा संरक्षण मिले, पूरी सहायता मिले। हम सहायता पूरी करेंगे। बुद्धिमान ही केवल नहीं, आप विद्वान भी हैं। आप पूरे राष्ट्र और दुनिया को दिशा देंगे; ऐसे भी फैसले और

ऐसी भी नज़ीरें कुछ हैं, जिनसे हिन्दुस्तान की न्यायपालिका ने दुनिया को दिशा दी है और दुनिया को नजीर दी है, हिम्मत के साथ दी है, जोखिम उठाकर दी है। आप इस परम्परा को कायम रखेंगे, मुझे पूरी आशा है।

आज पूरे हिन्दुस्तान की न्यायपालिका बैठी हुई है, इसलिए मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं और दो-तीन बातें कुछ वाक्यों में ही कहना चाहता हूँ। जो हमारे देश के गरीब हैं, वे पहले तो न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंचते भी हैं, तो उनके हकों का हनन होता है। अगर इन्साफ मिल जाता है, तो हक छीनने वालों का मनोबल टूटता है। इसीलिए जितना भी शीघ्र उनको न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले, इसकी आपकी तरफ से कोशिश हो व सरकार की तरफ से कोशिश हो, तो इस देश के गरीबों को हम बहुत भला न्याय दिला सकते हैं जिससे न्याय और इंसाफ की मानसिकता हमारीं बनेगी। दिल और दिमाग दो होते हैं, दिमाग बहुत चतुर होता है और दिल असली होता है। हम चाहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों से काम हो। हम कानून बनाते हैं, लेकिन ऐसी भी नज़ीरें हैं, ऐसा है, लगातार चल रहा है, जो आप खुद कानून बना लेते हैं और उस कानून का फिर पालन सबको करना पड़ता है। यह आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक है; उसको फिर कोई चेलैंज कर नहीं सकता है। परम्परा ही नहीं, फिर वह कानून बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे अवसर पर, हमारी सरकार को, हमें भी, जो व्यवस्थापिका में हैं या प्रशासन में हैं, आपसे प्रेरणा मिले।

हम आपके निर्देशन को भी स्वीकार करेंगे और कभी भी, हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, न्यायपालिका के अवमान को या अपमान को न स्वीकार करेंगे, न बरदाश्त करेंगे। मुझे खुशी है कि इस लड़ाई में-इस संघर्ष में-हमको तकलीफें भी उठानी पड़ी हैं, परिश्रम भी करना पड़ा है, गालियाँ भी खानी पड़ी हैं, अपमान भी सहना पड़ा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं - "भारत के आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी । कि हमने अपने जीवन में पाँच-छः साल के लगातार संघर्ष में न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा को प्रमुख स्थान दिया है। आज केवल उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं, सारे हिन्दुस्तान की, सारी दुनिया की जनता ने यह स्वीकार किया है कि न्यायपालिका का सम्मान करना लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करना है। लोकतन्त्र की अगर कोई रक्षा कर सकता है समय-समय पर, तो वह न्यायपालिका कर सकती है। न्यायपालिका ने लोकतन्त्र की रक्षा की है और उसी उम्मीद के साथ मुझे बहुत खुशी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनको यहाँ से, किसी भी क्षेत्र में, निराश नहीं जाने देंगे। हम आपको मनोबल, सम्मान और आदर के साथ यहाँ से लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, दिल्ली के लिए विदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं, सभी को आभार व्यक्त करता हुआ, अपनी बात खत्म करता हूं।

******